

29/3/21

प्रशासकीय पत्र सं. 1. कलकत्ता वकील एवं वकील का आवाजे  
 लंगरवां राहता। उनकी तरफ से कोई धाजिर अदालत  
 नहीं आया। वकील का वाद अदालत धाजरी एवं अदालत  
 में ही खारिज किया जाता है प्रकृत मजदूर के काम  
 के लिए। धाजिल यथा ही।



मिनिमम आज उनके आदेश का हेतु जलस सुकासा ~~कलक्टर~~  
 बांका जिला राहता